एजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 171] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 22, 1972/आषाढ़ 31, 1894
No. 171] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 22, 1972/ASADHA 31, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 22nd July 1972

SUBJECT.—*Revision of the Exchange Rates between foreign currencies and Indian Rupees which have been allowed to float—Adjustment in the value of licences.*

No. 109-ITC(PN)/72.—Attention is invited to para 2 of Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 111-ITC(PN)/71, dated the 1st September, 1971 which details the manner in which the value of import licences already issued under free resources (where remittances in cash are allowed) should be adjusted consequent on the fluctuations in the exchange rates of the currencies mentioned therein. The same procedure should be adopted *potatis mutandis* for adjustments in the value of the licences issued from 23rd August, 1971/28th August, 1971 to the 19th December, 1971. In respect of licences issued from the 20th December, 1971, the procedure outlined in the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 16-ITC(PN)/72, dated 28th January, 1972 will apply

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1972

विषय.—उस विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये के बीच मुद्रा दर का संशोधन करना जिसकी स्वीकृति घटाव-बढ़ाव के लिए दी गई है—लाइसेंसों के मूल्य में समंजन करना ।

सं० 109-आई०टी०सी० (पीएन)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 111-आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 1 सितम्बर, 1971 की कंडिका 2 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें विस्तृत रूप से बताया गया है कि स्वतंत्र स्रोतों के अन्तर्गत (जहां नकद में प्रेषण स्वीकृत है) उल्लिखित मुद्रा की विनिमयदर में उतार-चढ़ाव होने के कारण पहले से जारी किए गए लाइसेंसों के मूल्य का किस प्रकार समंजन किया जाना चाहिए । यही क्रियाविधि ज्यों की त्यों, 27 अगस्त, 1971/ 28 अगस्त, 1971 से 19 दिसम्बर, 1971 तक जारी किए गए लाइसेंसों के मूल्य के समंजन के लिए अपनाई जानी चाहिए । 20 दिसम्बर, 1971 से जारी किए गए लाइसेंसों के मामले में विदेश व्यापार मंत्रालय को सार्वजनिक सूचना सं० 16-आईटीसी (पीएन)/72, दिनांक 28 जनवरी, 1972 में संकेतित क्रियाविधि लागू होगी ।

एम० एम० सेन

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972